निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श0)
(सं0 पटना 434) पटना, बृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना
3 मार्च 2021

l¡E 5 u0fo0@xBu&18@2020&980@uÆfoÆ ,o vkÆfoÆ— बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले नालन्दा जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या–4322 दिनांक–26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :–

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना नं0	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत सरमेरा	सरमेरा 82 बढ़िया 66	सरमेरा एवं हुसैना (आंशिक भाग)	उत्तर–धनावाँ 68, हुसैना 64 दक्षिण–प्यारेपुर 83, तोड़ा 81 पूरब–चेरो 86, छोटी मिसियां 63, बड़ी मिसियां 62 पश्चिम–मीरनगर, रामनाथपुर नरसिंहपुर 80	12551

2. इस क्षेत्र को नगर पंचायत सरमेरा कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

fcgkj&jkT;iky d vkns'k l]
vjfoUn dqekj >k]
ljdkj d l;Dr lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 434-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in